प्रेस नोट संख्या- 19

दिनांक – 11.10.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

"ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत थाना फुरसतगंज पुलिस द्वारा 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में संदिग्धों की चेकिंग एवं अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत दिनांक 11.10.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना फुरसतगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र सरफराज उर्फ रहीम निवासी ग्राम पूरे काले मजरे तेन्दुआ थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 01 जिंदा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना फुरसतगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में जनपद अमेठी, रायबरेली, भदोही के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- मुस्तकीम पुत्र सरफराज उर्फ रहीम निवासी ग्राम पूरे काले मजरे तेन्दुआ थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी उम्र 50 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 109/26 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शरदचन्द्र मिश्रा थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।
2. हे0का0 अनवर अली थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।
3. का0 पवन कुमार थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।
4. का0 अंकित यादव थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 191/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 212/17 धारा 302, 201 भादवि थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
3. मु0अ0सं0 117/23 धारा 3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गोपीगंज जनपद भदोही।
4. मु0अ0सं0 135/24 धारा 229, 238, 303(2), 316(2), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।